न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 118/2025

<u>उनवान</u>

तहसीलदार, तहसील कार्यालय गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रार्थी

बनाम

दिलीप कुमार पिता कुरियाजी जाति चमार निवासी रैयाना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.)।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 27.11.2025

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी द्वारा प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन किया कि पटवार हल्का गढ़ी के मौजा गढी की खाता संख्या 811 नया, 650 पुराना के खसरा संख्या 3511 रकबा 0.14 हे0, खसरा संख्या 3512 रकबा 0.02 हे0, खसरा संख्या 3513 रकबा 0.04 हे0 खसरा संख्या 3514 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 04 रकबा 0.21 हे0 भूमि अप्रार्थी श्री दिलीप कुमार पिता कुरियाजी यादव जाति चमार निवासी रैयाना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 3511 रकबा 0.14 हे0, खसरा संख्या 3512 रकबा 0.02 हे0, खसरा संख्या 3513 रकबा 0.04 हे0 खसरा संख्या 3514 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 04 रकबा 0.21 हे0 भूमि पूर्व में खातेदार शीतल पत्नि नारायण जाति यादव निवासी नोलीवाडा के नाम दर्ज रिकार्ड था। जो जरिये बैचान पत्र से नामान्तरण संख्या 1689 दिनांक 30.7.2021 द्वारा अप्रार्थी दिलीप कुमार पिता कुरियाजी यादव जाति चमार निवासी रैयाना तहसील अरथूना के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ। उक्त वादग्रस्त खसरा संख्या 3511 रकबा 0.14 हे0, खसरा संख्या 3512 रकबा 0.02 हे0, खसरा संख्या 3513 रकबा 0.04 हे0 खसरा संख्या 3514 रकबा 0.01 हे0 भूमि बिना किसी सम्परिवर्तन आदेश के दिनांक 20.1.2023 को नामान्तरण संख्या 1812 द्वारा किस्म आबादी दर्ज रिकार्ड हो गई है। जिस पर तहसील कार्यालय गढ़ी के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/558 दिनांक 29.7.2025 द्वारा अप्रार्थी दिलीप कुमार पिता कुरियाजी यादव जाति चमार निवासी रैयाना को नोटिस जारी कर नामान्तकरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया परन्तु अप्रार्थी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ ना ही अपना जवाब प्रस्तुत किया। तहसील कार्यालय गढ़ी द्वारा पुनः पत्र क्रमांक राजस्व/2025/844 [illegible] 21.11.2025 [illegible] को पुनः नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 24.11.2025 [illegible] कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गढ़ी में [illegible] की भूमि खाता संख्या 811 खसरा न. 3511, 3512, 3513, 3514 रकबा क्रमशः [illegible] हे., 0.04 हे., 0.01 हे. भूमि का कृषि से अकृषि भूमि रूपान्तरण हेतु तत्[illegible] पटवारी को आवेदन प्रस्तुत किया था परन्तु आज दिनांक तक आवासीय आबादी रूपान्तरण आदेश प्राप्त नहीं होना अवगत कराया। तहसील कार्यालय गढ़ी के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/843 दिनांक 21.11.2025 द्वारा भू.अ.नि. गढ़ी को पत्र जारी कर उक्त भूमि के नामान्तरण हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नामन्तकरण पंजिका व ऑनलाईन रेकार्ड की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। भू.अ.नि. गढ़ी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त खाते में जरिये नामान्तकरण संख्या 1812 दिनांक 20.01.2023 संपरिवर्तन नामान्तकरण से उक्त चारो आराजी नम्बरानो में किस्म परिवर्तन आबादी दर्ज हुआ व उक्त नामान्तकरण की ऑनलाईन रेकार्ड से जांच करने पर ना.स. 1812 दिनांक 20.01.2023 रूपान्तकरण का नामान्तकरण अपना खाता में Show नही हो रहा है। नामान्तकरण की जगह Blank बता रहा है। इसमें किसी प्रकार का संपरिवर्तन आदेश नहीं हुआ है व बिना संपरिवर्तन आदेश से संपरिवर्तन का नामान्तकरण दर्ज किया गया है व किस्म परिवर्तन कर दी गई है जो अवैद्यानिक है। P-21 में भी नामान्तकरण का कोई इन्द्राज नहीं है व नामान्तकरण की प्रति निकालने पर नामान्तकरण की प्रवि व अपलोड दस्तावेज के रूप में खाली कागज संलग्न किये होना बताया। तहसील कार्यालय गढ़ी के पत्र क्रमांक 846 दिनांक 21.11.2025 द्वारा श्री उमंग रावल राजस्व लिपिक (कनिष्ठ सहायक) तहसील कार्यालय गढ़ी को पत्र जारी कर उक्त भूमि के कृषि से अकृषि भूमि रूपान्तरण के संबंध में कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है अथवा नहीं कि जांच हेतु लिया गया। श्री उमंग रावल राजस्व लिपिक (कनिष्ठ सहायक) तहसील कार्यालय गढ़ी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि तहसील कार्यालय गढ़ी से उक्त भूमि के कृषि से अकृषि भूमि रूपान्तरण हेतु आदेश जारी नहीं हुआ है। बिना किसी सम्परिवर्तन आदेश के वादग्रस्त भूमि पटवार हल्का गढ़ी के मौजा गढी की खाता संख्या 811 नया, 650 पुराना के खसरा संख्या 3511 रकबा 0.14 हे0, खसरा संख्या 3512 रकबा 0.02 हे0, खसरा संख्या 3513 रकबा 0.04 हे0 खसरा संख्या 3514 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 04 रकबा 0.21 हे0 भूमि की किस्म जो आबादी कर दी गई हैं उसे सही कर किस्म भूरी प्रथम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गढ़ी में अपने खाते की भूमि खाता संख्या 811 खसरा न. 3511, 3512, 3513, 3514 रकबा क्रमशः 0.14 हे., 0.02 हे., 0.04 हे., 0.01 हे. भूमि का कृषि से अकृषि भूमि रूपान्तरण हेतु तत्कालीन पटवारी को आवेदन प्रस्तुत किया था परन्तु आज दिनांक तक आवासीय आबादी रूपान्तरण आदेश प्राप्त नहीं होना बताया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संलग्न दजस्तावेजो एवं अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजो एवं जवाब से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि का बिना किसी सम्परिवर्तन आदेश के कृषि से अकृषि (आवासीय आबादी) दर्ज रिकार्ड कर दिया गया है। जिसे सही कर पुनः कृषि (भूरी प्रथम) दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पटवार हल्का गढ़ी के मौजा गढी की खाता संख्या 811 नया, 650 पुराना के खसरा संख्या 3511 रकबा 0.14 हे0, खसरा संख्या 3512 रकबा 0.02 हे0, खसरा संख्या 3513 रकबा 0.04 हे0 खसरा संख्या 3514 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 04 रकबा 0.21 हे0 भूमि की किस्म आवासीय आबादी से कृषि (भूरी प्रथम) दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर पालनार्थ तहसीलदार गढ़ी को भेजी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:36 IST
Reason: SelfAttested

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

Scanned with OKEN Scanner